"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2006—आश्विन 24, शक 1928

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

आदेश

क्रमांक एफ 4-449/दो/गृह-सी/2004.—यत: केन्द्र सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का सं. 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए स्टुडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया है ;

और यत: समसंख्यक अधिसूचना क्र. एस. ओ. 204 (ई) और अधिनियम की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार ने निदेश दिया है कि अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शक्तियां राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाएगी ;

और यत: केन्द्र सरकार समसंख्यक एफ. क्र. दो-14017/7/2005-एन. आई.-तीन, दिनांक 14-2-2006 द्वारा उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त किए जाने हेतु निर्देशित शक्तियों को राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है ;

और यत: साम्प्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों तथा वे क्रियाकलाप जो भारतीय समाज की शांति, अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए हानिकारक हैं, का नियंत्रण आवश्यक है ;

अतएव राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्वोक्त विधि विरुद्ध संगठनों के संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का सं. 37) की धारा 7 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को प्राधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 4-449/दो/गृह-सी/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड 3 (1) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-449/दो/गृह-सी/2004, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

Raipur, the 12th October 2006

ORDER

No. F-4-449/Home-C/Two/2004.—Whereas the Central Government in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), has declared the Students Islamic Movement of India (SIMI) as Unlawful Association ;

And whereas vide notification No. S. O. 204 (E) and in exercise of powers conferred by Section 42 of the Act, the Central Government has directed that the powers exercisable by it under Section 7 & 8 of the Act shall be exercised by the State Government ;

And whereas Central Government vide F. No. II-14017/7/2005-NI-III, dated 14-2-2006, has conveyed its approval that powers directed to be exercised by the State Government as above shall be exercised by any person, sub-ordinate to the State Government ;

And whereas it is essential to curb the communal and antinational activities and the activities which are detrimental to the peace, integrity and maintenance of the secular fabric of Indian Society ;

Now, therefore, the State Government hereby authorises, the District Magistrates to exercise the powers under Section 7 and 8 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) in relation to aforesaid Unlawful Organisation.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
S. R. DIVYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.